प्रश्न सं. [क्र. 468]

परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 468

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा की गई जांच दिनांक 17.10.2018 का संक्षिप्त विवरण

1. जांच दल द्वारा 04 फर्मों से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई जिसमें फर्म भागीरथ कुशवाह एण्ड कम्पनी द्वारा 15012.47 क्विंटल, फर्म सुशील चौधरी एण्ड कम्पनी द्वारा 1563.34, फर्म सुरेश आहूजा एण्ड कंपनी द्वारा 48.05 एवं फर्म जीतू धाकड़ एण्ड कंपनी द्वारा 3188.00 क्विंटल प्याज बिना अनुज्ञा पत्र के विक्रय की गई, जिनसे मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) के तहत दाण्डिक मंडी फीस वसूली योग्य पाई गई ।
2. जांच दल द्वारा 06 अनुज्ञा पत्र में दर्ज वाहनों के नम्बर के आधार पर आर.टी.ओ. से प्राप्त जानकारी अनुसार 03 वाहनों में ट्रेक्टर 01 वाहन मोटर साईकिल में पंजीकृत होना तथा 02 वाहन पंजीकृत नहीं होना पाया गया ।
3. जांच दल द्वारा 03 कृषकों द्वारा किये गये विक्रय संव्यवहारों का कृषकों से चर्चा उपरांत विक्रय करना शंकास्पद प्रतिवेदित है ।
4. कलेक्टर शिवपुरी द्वारा दिनांक 02.05.2018 को दी गई स्वीकृति अनुसार मंडी प्रांगण के बाहर शासकीय भूमि पर नीलामी कराई गई, जहां विद्युत एवं सी.सी.टी.व्ही. कैमरों आदि आवश्यक व्यवस्था नहीं थी ।
5. जांच प्रतिवेदन में उल्लेख अनुसार फर्म जीतू धाकड़ एण्ड कम्पनी से कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) अनुसार राशि रू. 25920.00 मंडी समिति में रसीद क्रमांक 37/43 दिनांक 06.11.2018 में से जमा कराये गये, शेष भागीरथ कुशवाह एण्ड कंपनी, सुशील चौधरी एण्ड कम्पनी एवं सुरेश आहूजा एण्ड कम्पनी फर्मों से वसूली भू-राजस्व के तहत करने हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी को सौंपा गया ।
6. अनुज्ञा पत्रों में ट्रेक्टर, मोटर साईकिल वाहनों के नंबर दर्ज करने वाले कर्मचारी श्री रघुनाथ लोहिया मंडी निरीक्षक के साथ ही फर्म सुशील चौधरी एण्ड कम्पनी के विरूद्ध थाना पुलिस कोतवाली जिला शिवपुरी में अपराध कायम हेतु दिनांक 26.11.2019 को पत्र लिखा गया ।
7. मंडी समिति शिवपुरी में प्याज विक्रय/खरीदी में पाई गई अनियमितता में श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, (प्रतिनियुक्ति) मंडी निरीक्षक, प्रभारी सचिव को आरोप-पत्र जारी किये गये है। श्री रघुनाथ सिंह लोहिया, श्री रामकुमार शर्मा मंडी निरीक्षक, श्री भगवानदास भिलवार, श्री मनोज कुमार आर्य, श्री राकेश कुमार गुप्ता सहायक उपनिरीक्षक के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाकर जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । ब्रजेश शर्मा लिपिक मंडी शिवपुरी को मंडी समिति शिवपुरी के पत्र क्र. 1407 दिनांक 10.12.2018 से निलंबित किया गया ।

श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (प्रतिनियुक्ति) मंडी निरीक्षक, प्रभारी सचिव को बोर्ड के आदेश दिनांक 31.05.2019 द्वारा पैतृक संस्था संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को वापिस की गई ।

9. श्री रविन्द्र शर्मा, मंडी सचिव शिवपुरी जयसवाल लायसेंस प्रभारी, रामकुमार शर्मा मंडी निरीक्षक एवं मनोज आर्य, राकेश गुप्ता सहायक उप निरीक्षक, ब्रजेश शर्मा सहायक वर्ग-3 एवं भगवानदास भिलवार के विरूद्ध दिनांक 30.06.2018 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई ।

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.